:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :–राकेश कुमार न्योल आर.एस.एस.

मूकदमा नम्बर 05/2022

1. अनिता पुत्री विश्राम जाति मीणा नाबालिग होने से सरंक्षक माता गंगा पत्नी विश्राम जाति मीणा निवासी गडापट्टापीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।
2. माया पुत्री विश्राम जाति मीणा नाबालिग होने से संरक्षक माता गंगा पत्नी विश्राम जाति मीणा निवासी गडापट्टापीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।

––अपीलांट

बनाम

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर।
2. श्री सरपंच ग्राम पंचायत गडापट्टापीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज.।

––रेस्पोडेट

अपील बनाराजगी नामान्तरण सख्या 884 ओदश प्रमाणीत ग्राम पंचायत गडापट्टापीठ मौजा राजपुर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता अपीलान्ट।

:: निर्णय :: दिनांक 20/05/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि मौजा राजपुर जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 397 खसरा संख्या 1181 रकबा 0.2914 हैक्टेयर होकर अपीलान्ट के पिता विश्राम पुत्र मरता की मृत्यु होने पर विरासती नामान्तरण सख्या 884 दर्ज किया गया है, जिसमें स्व. विश्राम कें वारीसानो की सूचना तो सहीं दर्ज की गई है, किन्तु अपीलान्ट जो कि नाबालीग है, अपीलान्ट की सरक्षक माता गंगा है जो नामान्तरण दर्ज करते समय भूल की गई है कि अपीलान्ट की आयु कें संबंध में स्कूल कें दस्तावेज एवं आधार कार्ड पेश किए है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाबालीग दर्ज करना सहवन से रह गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नाम के संबंध में किसी प्रकार से कोई दस्तावेज जॉचे परखे बिना नामा प्रमाणित किया गया है, ऐसे मे उक्त नामान्तरण में आंशिक परिवर्तन कर, अपीलांट नाबालीग की सरक्षक माता गंगा दर्ज किया जावे। इस सम्बंध में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07/09/2022 को नामान्तरण की नकले निकलवाने पर ज्ञात हुआ। तभी से अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया, जो अपीलान्ट की जानकारी में आया है। भू अभिलेख नियमावली की धारा 120 के अनूसार ग्राम पचायत का कर्तव्य था कि वह नामान्तरणकरण खोले जाते समय अपीलांट की उपस्थिति हेतू नोटिस देते तथा उसका पक्ष सूनते लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कूछ नहीं किया गया जो साबित करता है कि ग्राम पंचायत द्वारा मन माफिक निर्णय पारित किया है जिससे उपरोक्त नामान्तरणकरण शून्य व प्रभावनहिन होकर खारीज योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश को में आंशिक परिवर्तन कर, अपीलान्ट के नाम कें साथ नाबालिग की वली माता गंगा दर्ज करने का आदेश फरमाया जाना आवश्यक है। नामान्तरणकरण का आदेश ग्राम पंचायत द्वारा पारित किये जाने से अपील की सूनवाई हेतु पेश है।

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

यह कि अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया,। रेस्पोडेन्ट भूमिधारी द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील

Scanned with OKEN Scanner

के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज, एवं रेस्पोंडेंट तहसीलदार के जवाब का अवलोकन किया गया। बहस अन्तिम सुनी गई। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाई गई। रेस्पोंडेंट तहसीलदार सीमलवाड़ा के जवाब में अनिता पुत्री विश्राम मीणा के आधार कार्ड में अनिता की अंकित जन्म तिथि 01.01.2006 के आधार पर अनिता बालिग हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन प्रमाण पत्र में माया पुत्री विश्राम की जन्म तिथि 10.05.2010 एवं आधार कार्ड में 01.01.2010 अंकित है।

कियात्मक आदेश

मौजा राजपुर के खसरा सख्या 3174/1181 का रकबा 0.0035 हैक्टेयर भूमि में माया पुत्री विश्राम नाबलिग की संरक्षक माता गंगा पत्नी विश्राम दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है, तहसील तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अविलम्ब कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक २०/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner